जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक **दिनांक 04.12.2021** को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	जिला विकास अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
2.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ	–सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ	–सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ	–सदस्य
7.	निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ	–सदस्य
8.	जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
9.	समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ	–सदस्य
10.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ	–सदस्य (सचिव)

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य :–

श्री अकांशु सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), प्रथम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 32 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें से 02 नग डी0पी0आर0 को पुनरक्षित कर पुनः प्रेषित की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 32 विस्तृत प्राक्कलनों में से 30 योजनाओं के प्राक्कलन रु0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 30 नग

विस्तृत प्राक्कलनों की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, मेरठ द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत प्राक्कलनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	दौराला	चिन्दौड़ी टप्पा लावड़	1	686	309.60	34.55	344.15	5251	
2	दौराला	मुखत्यारपुर नंगला	1	281	174.50	19.48	193.97	5992	
3	दौराला	वटजेवरा	1	449	228.43	25.49	253.93	4948	
4	दौराला	मटौर	1	999	390.41	43.57	433.99	5993	
5	दौराला	समोली सलेमपुर	1	895	356.15	39.75	395.90	4916	
6	दौराला	वपरसा	1	531	278.62	31.10	309.71	5796	
7	हस्तिनापुर	समसपुर	1	282	182.99	20.42	203.42	5978	
8	हस्तिनापुर	मौहम्मदपुर सिखेड़ा	1	343	192.27	21.46	213.73	4726	
9	जानीखुर्द	नेक	1	661	288.39	32.19	320.58	5993	
10	जानीखुर्द	जमालपुर माजरा	1	262	167.45	18.69	186.14	5927	
11	खरखौदा	धीरखेडा	1	498	263.48	29.41	292.89	5933	
12	खरखौदा	रसूलपुर धन्तला	1	365	240.65	26.86	267.51	5904	• दिनांक 29.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर पुनः प्रस्तुत।
13	माछरा	हसनपुर कलां	1	821	321.66	35.90	357.56	5291	
14	माछरा	चन्द्रावल उर्फ महलवाला	1	796	321.81	35.92	357.73	4978	
15	मवाना	अमरौली उर्फ बड़ा गाँव	1	844	340.72	38.03	378.74	5687	गुणता प्रभावित
16	मेरठ	इटायरा	1	488	214.02	23.89	237.90	4375	
17	परीक्षितगढ़	परीक्षितगढ़ देहात	1	618	230.65	25.74	256.39	4845	गुणता प्रभावित
18	परीक्षितगढ़	सारंगपुर	1	464	250.93	28.01	278.94	5996	
19	परीक्षितगढ़	दुर्वेशपुर	1	668	313.27	34.96	348.23	5838	
20	रजपुरा	नंगली आजमाबाद	1	315	206.30	23.02	229.33	5976	
21	रजपुरा	कस्तला शमशेरनगर	1	590	307.49	34.32	341.80	5923	
22	रजपुरा	पंचगाँव पट्टी अमरसिंह	1	729	351.80	39.26	391.06	4784	
23	रजपुरा	उल्देपुर	1	402	211.04	23.55	234.59	4948	
24	रजपुरा	भूड़पुर	1	823	381.61	42.59	424.20	4766	
25	रजपुरा	सिसौली	1	1158	445.13	49.68	494.80	4109	
26	रोहटा	थिरोट	1	349	225.04	25.12	250.16	5853	• दिनांक 29.06.2021 को DWSM से पूर्व में अनुमोदित। • नवीन दिशा निर्देशानुसार संशोधित कर पुनः प्रस्तुत।
27	रोहटा	उकसिया	1	244	180.55	20.15	200.70	5971	

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मि-लित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभि-कल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
28	रोहटा	भदौड़ा	1	643	308.47	34.43	342.90	5982	गुणता प्रभावित
29	सरधना	नंगला आर्डर	1	324	193.23	21.57	214.79	5995	
30	सरूरपुर	वदरूद्दीननगर उर्फ नानू	1	978	393.32	43.90	437.22	3691	

रु0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निम्न 02 योजनाओं की डी0पी0आर0 की राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया:—

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मि-लित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभि-कल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	रजपुरा	अम्हेड़ा आदिपुर	1	1133	485.71	54.21	539.92	4740	
2	सरधना	औरंगनगर रार्धना	1	1542	598.11	66.75	664.87	4655	

सदस्य (सचिव) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ में द्वितीय चरण हेतु चयनित 236 ग्रामों में से 22 ग्राम गुणता प्रभावित ग्रामों की श्रेणी के हैं, जिनमें से 7 ग्रामों की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है तथा 3 ग्रामों की डी0पी0आर0 प्रस्तुत 32 डी0पी0आर0 में सम्मिलित है। शेष 12 ग्रामों में से 7 ग्रामों में भूमि उपलब्ध है, परन्तु ग्राम की जनसंख्या कम होने के कारण डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत रु0 6000.00 से अधिक आ रही है, जिस हेतु नवीन संशोधित शासनादेश के अनुसार उक्त 7 ग्रामों की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य प्रगति में है तथा शेष 5 ग्रामों में से 2 ग्रामों में भूमि उपलब्ध नहीं है एवं 3 ग्रामों में भूमि 132 (खाद के गढ्ढे एवं खेल का मैदान) की श्रेणी है, जिनका श्रेणी परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) भूमि उपलब्धता :—

खण्ड में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट JV भूरतनम कस्ट्रक्शनस, हैदराबाद के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा हैं। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0 सं0	तहसील	कुल चिन्हित ग्राम जहाँ भूमि प्राप्त की जानी है	भूमि उपलब्धता	विवादित भूमि स्थल	अवशेष भूमि स्थल	श्रेणी परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	88	86	4	2	12
2	मवाना	69	49	2	20	10
3	सरधना	66	51	4	15	8
कुल योग		223	186	10	37	30

अवगत कराया गया कि अद्यतन प्राप्त सूचनानुसार कुल 10 नग भूमि विवादित हैं, 37 नग भूमि अनुपलब्धएवं 30 नग भूमि श्रेणी परिवर्तन की हैं। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, मेरठ को अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 938/पेय–71/377

दिनांक 17.11.2021, उपजिलाधिकारी, मवाना को अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 937/पेय–71/376 दिनांक 17.11.2021एवं उपजिलाधिकारी, मेरठ को अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 936/पेय–71/375 दिनांक 17.11.2021 द्वारा भूमि की उपलब्धता, श्रेणी परिवर्तन एवं विवादित भूमि के विवाद का निस्तारण कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। समिति द्वारा उक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(iv) नमित सपोर्ट एजेन्सियों की गतिविधियाँ :–

- **जनपद मेरठ हेतु नामित आई0एस0ए0 :–**

1. मै0 सेफ एप्रोच, नई दिल्ली।
2. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा योजनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा ग्रामवासियों को FHTC लेने में प्रोत्साहित करने व Community Contribution हेतु प्रत्येक जनपद में Implementation Support Agency को नामित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2725/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार ISA द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात् संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक, जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं संचालन/अनुरक्षण हेतु प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 389/पेय–97/जे0जे0एम0/118 दिनांक 29.06.2021 द्वारा 2 कलस्टर इस कार्य हेतु निम्नानुसार आबंटित किये गये थे।

क्र0 सं0	नामित आई0एस0ए0 का नाम	आबंटित कलस्टर संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	मै0 सेफ एप्रोच, ई–99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली	1	40
2	मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16, मीठापुर एक्सटेशन, साईंनगर, बदरपुर, नई दिल्ली	2	40

वर्तमान में चयनित एजेन्सी मै0 सेफ एप्रोच, ई–99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली एवं मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16, मीठापुर एक्सटेशन, साईंनगर, बदरपुर, नई दिल्ली द्वारा आबंटित कलस्टरों में आई0एस0ए0 के किये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:–

क्र0	नामित आई0एस0ए0 का नाम	आबंटित कलस्टर में ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों की संख्या	VWSC गठित	VWSC गठित परन्तु सदस्य विवरण लम्बित	खोले गये बैंक खातों का विवरण	VAP की स्थिति
1	मै0 सेफ एप्रोच, नई दिल्ली	40 / 46	46	5	0	अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
2	मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली	40 / 41	41	11	10	VAP तैयार परन्तु पूर्ण विवरण अद्यतन किया जाना लम्बित।

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 971 / पेय–71 (JJM) / 388 दिनांक 23.11.2021 एवं 972 / पेय–71 (JJM) / 389 दिनांक 23.11.2021 (पताका–12) द्वारा चयनित एजेन्सियों को कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1764/W-314 (Vol-5)/ 2021-21 दिनांक 04.10.2021 (पताका–13), के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का कलस्टर आवंटन नहीं किया गया है, उनमें VWSC गठन एवं VAP तैयार कर फीडिंग की कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जानी है, जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ पत्रांक 725 / पेय–73(ISA) / 44 दिनांक 06.10.2021 (पताका–14) द्वारा सम्बन्धित को दी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शेष ग्राम पंचायतों / राजस्व ग्रामों में जिला पंचायत राज अधिकारी स्तर से की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	राजस्व ग्रामों की संख्या	VWSC गठित	VWSC गठित परन्तु सदस्य विवरण लम्बित	खोले गये बैंक खातों का विवरण	VAP की स्थिति
1	478/ 605	604	511	0	कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 979 / पेय–73 (ISA) / 60 दिनांक 23.11.2021 (पताका–15) द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार VWSC गठन / VAP तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा VWSC / VAP हेतु वांछित कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(v) प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डों हेतु समस्त ग्राम पंचायत / क्षेत्रों की जल गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटिरिंग हेतु WQMIS पोर्टल पर पंजिकृत करने के लिए प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों (एस0एच0जी0 / आशा / ए0एन0एम0 / आंगनबाडी) को नामित किये जाने के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपरोक्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं प्रत्येक ग्राम में 05 महिलाओं का चयन ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों के माध्यम से तत्काल कराने की अपेक्षा की गयी है। इन पांच महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, आशा, ए.एन.एम. आंगनबाडी कार्यकत्री, अध्यापिका तथा 03 अन्य कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान, VWSC सदस्य, प्राइमरी अथवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, विज्ञान छात्रों में से कोई 03 सदस्य) सम्मिलित होंगे। इन आठ सक्रिय सदस्यों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर उपलब्ध कराया जाना है।

कैमीकल युक्त FTK तथा H_2S Vials की आपूर्ति उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ कार्यालय में प्राप्त हो गयी है, जिन्हें इस कार्यालय के पत्रांक 697 / पेय–41 / 29 दिनांक 01.10.2021 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है।

जिला विकास अधिकारी, मेरठ के पत्रांक 677 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.10.2021 से दिनांक 30.10.2021 तक समस्त विकासखण्डों में FTK तथा H_2S Vials का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि उक्त FTK तथा H_2S Vials का वैधता तिथि (6 माह) समाप्त होने से पूर्व इनका उपयोग किया जाना है। वर्तमान में जनपद मेरठ में FTK तथा H_2S Vials के माध्यम से जल गुणवत्ता की जाँच हेतु विकासखण्ड स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की

Scanned with CamScanner

गयी है, जिस कारण से WQMIS पोर्टल पर प्रगति शून्य परिलक्षित हो रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, प्रथम खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के पत्रांक 957 / पेय–41 / 43 दिनांक 18.11.2021 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद मेरठ को प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 महिला सदस्यों को नामित कर पोर्टल पर अपलोड करने एवं जल गुणवत्ता की जाँच FTK तथा H_2S Vials के माध्यम से कराकर जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। समिति द्वारा उक्त विषयक वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ